Factory (UBS)

5854

विक्रय-पत्र

बैनामा :- 4,50,000/-रूपये

बाजारी मालियत :- 4,67,500/-रूपये

स्टाम्प शुल्क :- 29,250/-रूपये

इकरारनामे में अदा स्टाम्प शुल्क :- नहीं

वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क :- 29,250/-रूपये

कुल शीटों की संख्या :- 16 पिचे

विक्रित सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल :- 0-0935 हैक्टेयर अर्थात 935 वर्गमीटर

वार्षिक लगान :- 2/-रूपये 30 पैसे

विक्रित सम्पत्ति का विवरण :- कृषि भूमि

(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक, और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण का प्रकार व एक मंजिली अथवा बहुमंजिली)

कवर्ड एरिया (यदि निर्माण है तो) नहीं

स्थित ग्राम / नगर :- ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार

(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय, अर्द्धनगरीय आदि)

क्रेता तथा विक्रता अनुसूचित जाति अथवा जन जाति से संबंधित है अथवा नहीं :- नहीं

विक्रेता का स्वामित्व का आधार :- भूमिधारी

भूमि पट्टे आदि की है अथवा नहीं :- नहीं

चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं:- चल रही है

कृषि भूमि की स्थिती में :- सिंचित

(बाग, सिंचित / असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

रेट लिस्ट में पृष्ठ संख्या 26 क्रमांक 16 श्रेणी x

सर्किल रेट :- 500/-रूपये प्रति वर्ग मीटर

आवास विकास शुल्क के अन्दर है अथवा बाहर :-अन्दर

मुख्य सड़क से दूरी (50 मी अथवा 50 मी से ज्यादा) :- पुहाना -इकबालपुर रोड से 200 मीटरसे अधिक है दिल्ली देहरादून मार्ग से करीब 1/2 कि0मी0 दूर है

क्या क्रेता उत्तराखण्ड राज्य का दि0 12-09-03 ई से पूर्व का कृषक / अचल सम्पत्ति धारक है, यदि हाँ तो सम्पत्ति कहा स्थित हैं :- क्रेता के पास उत्तराखण्ड राज्य मे अचल सम्पत्ति है

फोटो व अंगुष्ठ चिन्ह प्रमाणित कर्ता :- गवाहो की पहचान पर, सतेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट रूड़की

विक्रेता का नाम, पिता का नाम व पता :- मुस्तकीम पुत्र श्री नासर निवासी ग्राम पुहाना परगना भगवानपुर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार।

मुस्तकीम — Kamal Jain

Scanned with CamScanner

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तांतरण तथा बन्धक आदि नहीं है और कोई ऋण आदि महकमें 'बैंक, सोसायटी आदि से या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नहीं है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तांतरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप सक्षम है। अतः प्रतिज्ञ ने अपनी मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दवाब के निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले मुबलिग 4,50,000/- चार लाख

पचास हजार रूपये में हाथ श्रीमती कोमल जैन पत्नी श्री प्रेमचन्द जैन निवासी म0न0 490, पुरानी तहसील रूड़की परगना व तहसील रूड़की जिला हरिद्वार। क्रेता को उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्रांक सं0 299(1)-27(9)/2006 दिनांक 18-8-06ई0 को स्टाम्प मे25 प्रतिशत की छूट दी गयी है,

Satendra Kumar Garg
Advocate
Regn. No. 1834/81
Civil Court, Roorkee

Komal Jain

Sat...
Regn. No. 1834/..
Court, Roorkee

को विक्रय व हस्तांतरित कर दी है तथा कुल मूल्य राशि की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है। पश्चात् इसके कोई मूल्य राशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रही और न भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का बखूबी ब काई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है अब प्रतिज्ञ वचन देते और प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रेता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करें हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावें और जो चाहें सो करें अब प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारी को, विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्य राशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी वाद-विवाद करने पर निम्न सम्पत्ति कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्य राशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी जात खास जायदाद से वसूल कर लेंवें इसमें मुझ प्रतिज्ञ या उसके वारसान को उजर कोई नहीं होगा नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जोकि बरूये एक प्रतिज्ञ पर आमद होता है का पूरा-पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

अतः यह विक्रेय-पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है। जोत चकबन्दी आकारपत्र 23 के अनुसार चक सं0 121 के मूल गाटा के बदले प्रस्तावित प्रथम चक के गाटा नम्बरान 290 रकबा 0-0020 हैक्टेयर व 291मि0 रकबा 0-1598 हैक्टेयर कुल 2 किते रकबई कुल 0-1618 हैक्टेयर भूमि

Komal Jain

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोड संख्या-5500

502362

6 AUG 2009

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XXX 2009-2010

उत्तरांचल UTTARANCHAL

(3)

मे से अपना कुल हक व हिस्सा अर्थात 0-0935 हेक्टेयर भूमि अर्थात

Kewal Saini

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

कोषा[illegible] ... रु. 502365
कोड संख्या–5500
10 AUG 2009
जिला [illegible] (उत्तराखण्ड)
XX 2009-2010

(4)

935 वर्ग मीटर लगानी 2/-रुपये 30 पैसे सालाना स्थित ग्राम फुहाना मुस्तहकम

Kamal Jain

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

331100

उत्तरांचल UTTARANCHAL

15 AUG 2009

जिला हरिद्वार

XXX 2009-2010

{5}

परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार, विक्रय की है। विक्रेता, क्रेता के

नाम दाखिल खारिज होने मे पूरा पूरा सहयोग करेगा। विक्रीत भूमि काश्त की -

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

338840

(6)

भूमि है जिसका जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची के अनुसार रेट

12,40,000/-रुपये प्रति हेक्टेयर है परन्तु विक्रीत रकबा 1000 वर्ग मीटर से

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी
रुड़की
कोड संख्या-5500
A 662291
6 AUG 2009
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
XXX 2009-2010 +++

उत्तरांचल UTTARANCHAL

कम होने के कारण आबादी की दर 500/-रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है । विक्रीत प्रश्नगत में मुझ विक्रेता का

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी रुड़की कोड संख्या-5500

A 66228[illegible]

6 AUG 2009

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XXX 2009-2010

UTTARANCHAL

(8)

कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा ।

कब्जा व दखल मौके पर अपने तमान उपरोक्त विक्रीत भूमि पर क्रेता का

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोड संख्या-5500

A 662293

6 AUG 2009

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XXX 2009-2010

उत्तरांचल UTTARANCHAL

॥ ९॥

करा दिया है । क्रेता के पास उत्तरांखण्ड राज्य मे दिनॉक 12-9-03ई0 से पूर्व अचल सम्पत्ति है । क्रेता उक्त नम्बरो मे सहखातेदार है विक्रय पत्र के बाद अब उक्त यक मे मुझ विक्रेता का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है और न ही भविष्य मे होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

** कोषाधिकारी रुड़की कोड संख्या-5500

A 662294

6 AUG 2009

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XXX 2009-2010

मय कुमला हक हकूक हर प्रकार सहित ।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी
रुड़की
कोड संख्या-5500
A 662295
6 AUG 2009
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
XXX 2009-2010

उत्तरांचल UTTARANCHAL

तफसील वसूल याबी जरेसमन :- कुल मूल्यराशि मे से मु0 3,50,000/- रुपये क्रेता से पेशगी प्राप्त करलिये है और शेष मु0 1,00,000/-रुपये

Kamal Jain

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी रुड़की
कोड संख्या 5500
A 662296
6 AUG 2009
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
XXX 2009-2010
619

UTTARANCHAL

(12)

क्रेता से आज रूबरू गवाहान हाशिया नकद प्राप्त कर लिये है अब मुझ विक्रेता

की कोई मूल्यराशि शेष नहीं रही है और न ही भविष्य मे होगी ।

Kamal Saini

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी
रुड़की
कोड संख्या–5500
A 662297
6 AUG 2009
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
XXX 2009-2010

उत्तरांचल UTTARANCHAL

विक्रेता मुस्तकीम के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान:-

विक्रेता मुस्तकीम के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :-

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

** कोषाधिकारी

कोड संख्या-5500

B 840342

20 JUL 2009

जिला हरिद्वार

XXX 2009-2010

उत्तरांचल UTTARANCHAL

{14}

क्रेता श्रीमति कोमल जैन के बाये हाथ की अंगुलियो के निशान :-

क्रेता श्रीमति कोमल जैन के दाये हाथ की अंगुलियो के निशान :-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

कोषाधिकारी रुड़की
कोड संख्या B 840343
20 JUL 2009
जिला हरिद्वार
XXX 2009-20

15

मुस्तकीम

गवाह :-

कुरबान

द० कुरबान पु० हबीब
R/o ग्राम ... रुड़की

गवाह :-

कवरपाल S मैपाल
ग्राम कुंवारखेड़ा
लखसार

Kunal ...

Civil Court, Roor...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

A 564743

कोड संख्या-5500
23 JUN 2009
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
XXX 2009-2010 +++

{16}

kamalsuri

तहरीर तारीख :-12-8-2009ई0

गवाहो की पहचान पर

फोटो प्रमाणित व

शनाख्तवाई :- नरेन्द्र कुमार गर्ग एडवोकेट रुड़की

टाइप कर्ता :-धूमसिंह रुड़की

Scanned with CamScanner

265 10/9/09
501

Photo & Certificate

Seller

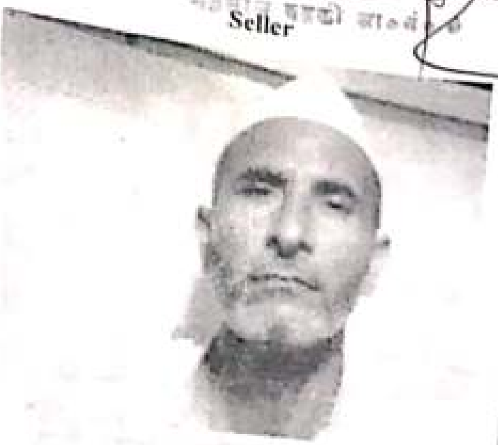

Buyer

Witness 1

Witness 2

सदर सबरजिस्ट्रार रुड़की जिला हरिद्वार (उत्तराखंड)

23/10/09

वही नम्बर	1	जिल्द	896	पृष्ठ	251	से	282
में नम्बर	5834	पर आज दिनांक	12-Aug-2009	में रजिस्टी की गयी ।			

उप निबन्धक SRO1 Roorkee
12-Aug-2009

Scanned with CamScanner

सत्यप्रतिलिपि

कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की,

प्रार्थना पत्र सं0- 189 अन्तर्गत धारा-5"ग" जो. च. अ.

श्रीमति कोमल जैन बनाम सरकार

ग्राम पुहाना मु0 परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार ।

अनुमति-पत्र
========

श्रीमति कोमल जैन पत्नि प्रेमचन्द जैन निवासी मकान नं0-490, पुरानी तहसील रुड़की जिला हरिद्वार ने जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-5"ग" के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की है कि ग्राम पुहाना मु0 परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक सं0-121 के प्रस्तावित प्रथम चक के गाटा सं0-290 /0.0020 है0, व 291मि./0.1598 है0, कुल दो किता रकबई 0.1618 है0 में से 0.0935 है0 भूमि पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ, आबादी निमार्ण करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी से आख्या प्राप्त की गयी । स.च.अ. ने आख्या में उल्लेख किया है कि प्रार्थिया उक्त भूमि की तन्हा स्वामी है तथा अपने भाग पर काबिज है । इस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है । जिसके सम्बंध में शपथ पत्र संलग्न है । यह भूमि जो.च.अ.-21 में भी सुरक्षित नही है । स.च.अ. द्वारा अपनी आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है कि उक्त गाटों के सम्बन्ध में प्रार्थिया ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है । प्रार्थिया को उक्त प्रयोजनार्थ अनुमति दिये जाने से ग्राम सभा को कोई हानि नहीं है ।

मैने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर, प्रस्तुत सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या, उपरोक्त चक/गाटों के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया, प्रश्नगत भूमि जोत चकबन्दी आकार पत्र-21 में भी सुरक्षित नही की गयी है । इसलिये उल्लिखित तथ्यों के आधार पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आबादी निमार्ण) की अनुमति दी जा सकती है ।

आदेश
=====

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थिया श्रीमति कोमल जैन पत्नि प्रेमचन्द जैन निवासी मकान नं0-490, पुरानी तहसील रुड़की का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । ग्राम पुहाना मु0 परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक सं0-121 के प्रस्तावित प्रथम चक के गाटा सं0-290 रकबई

P.T.O.

Scanned with CamScanner

0.0020 है0, व 291मि, रकबई 0.1598 है0 कुल दो किता रकबई 0.1618 है0 में से 0.0935 है0 भूमि पर सी.एच.एकट के अन्तर्गत कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आवासीय निर्माण) करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आवासीय निर्माण के अलावा अन्य किसी प्रयोजनार्थ शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। यह आदेश 90 दिन तक प्रभावी समझा जायेगा।

तामील बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर की जाये।

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA ONE RUPEE

स0बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की
12-10-09

याचना पत्र की संख्या व दिनांक 949/20/11/09
... तैयारी का दिनांक 21/11/09
... दिनांक 21/11/09
टकटों का मूल्य 4.00
अनुमानित ... 3.35
वितरण करने का दिनांक 23/11/09
वितरण कर्ता का हस्ताक्षर

4
4.00

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
23/11/09
प्रतिलिपि कार्यालय ...

सत्यप्रतिलिपि

कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की

प्रार्थना पत्र सं0 100 अन्तर्गत धारा–5 ग जो0 च0 अधि0

श्रीमती कोमल जैन बनाम सरकार

ग्राम पुहाना मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

अनुमति पत्र

श्रीमती कोमल जैन पत्नी प्रेमचन्द जैन निवासी 490 पुरानी तहसील रुड़की परगना व तहसील रुड़की जिला हरिद्वारा में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–5ग के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की है कि ग्राम पुहाना मु0 परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के चक संख्या 201 के गाटा सं0 291 मि0 रकबा 0.1619 है0 प्रस्तावित रकबा बैनामा द्वारा क्रय किया गया है पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आबादी निर्माण) करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर सहायक चकबन्दी अधिकारी से आख्या प्राप्त की गई। स0च0अ0 ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि प्रस्तावित चक बैनामा द्वारा क्रय किया गया है और तन्हा स0भू0 के स्वामी है तथा अपनी भूमि पर काबिज है। इस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है और यह भूमि आ0प0 21 में भी सुरक्षित नहीं है।

मैने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत पत्र पर एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या एवं प्रार्थीया का शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि जो0ला0–21 में भी सुरक्षित नहीं की गई है। इसलिए उल्लेखित तथ्यो के आधार पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आबादी निर्माण) करने की अनुमति दी जा सकती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीया श्रीमती कोमल जैन पत्नी प्रेमचन्द जैन निवासी 490 पुरानी तहसील रुडकी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पुहाना मु0 के प्रस्तावित प्रथम चक सं0 201 के गाटा सं0 291 मि0 रकबा 0.1619 है0 भूमि पर सी0एच0 एक्ट के अन्तर्गत कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ (आबादी निर्माण) अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती हैं कि आवासी निर्माण के अलावा अन्य किसी प्रयोजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी के आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगे। यह आदेश 90 दिन तक प्रभावी समझा जायेगा।

पत्रावली वाद अमल दरामद दाखिल दफ्तर की जाए।

P.T.O

ह0 अ0
ह0/0 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की
20-02-2021

Scanned with CamScanner

ख़रिज

ONE RUPEE

TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

[illegible] 1168/8-011

[illegible] 8-8-11

[illegible] दिनांक 9-8-11

[illegible] 71.00

[illegible] 2.00

[illegible] दिनांक 19-8-11

[illegible] ... 0

सत्य प्रतिलिपि

प्रमाणित

10/8/2011

46/ [illegible]

[illegible]

हरिद्वार स्थान रुड़की

5/1/08

कुल

वार्षिक

का वर्ष और

भगवा

यवा नही

असिंचि

सवि